अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

परिचय एवं संक्षिप्त जानकारी

क्यों बना वन अधिकार कानून?

वन भूमि पर निर्भर सभी लोगों के साथ हुए इसी एतेहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए और वन निवासियों के परंपरागत वन अधिकारों जैसे की बर्तनदारी, हक-हकूक, निस्तार आदि को पर्याप्त रूप से कानूनी मान्यता देने के लिए वन अधिकार कानून लागू किया गया है । वन अधिकार कानून मानता है की वन निवासी वनों के अभिन्न अंग हैं और जंगलों के सरंक्षण, सुरक्षा एवं रख-रखाव में वन निवासियों की मुख्य भूमिका है ।

वन अधिकार कानून कहाँ पर लागू होता है?

पूरे भारत में (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) सभी प्रकार की वन भूमि पर लागू होता है- **अवग्रिकृत वन (unclassified forests) असिमांकित वन (UDF), सांझे वन, संरक्षित वन (DPF), आरक्षित वन (Reserve), अभ्यारण और राष्ट्रीय पार्क (Sanctuary and National Park), शामलात चारागाह आदि**। हिमाचल में लगभग 70% भूमि इस श्रेणी में आती है । यह कानून पंचायती और म्युनिसिपल दोनों क्षेत्रों में लागू होता है ।

इस कानून से हमें क्या फायदा होगा?

यह कानून वन भूमि पर लोगों के पीढ़ियों से चले आ रहे परंपरागत अधिकारों के उपयोग, प्रबंधन और सुरक्षा का कानूनी हक देता है । [धारा 3(1)]

यह कानून ग्राम सभा को गाँव के विकास कार्यों के लिए वन भूमि हस्तांतरण के फैसले लेने का अधिकार देता है । [धारा 3(2)]

यह कानून अन्य सभी कानूनों से ऊपर है [धारा 4(1)]। इसलिए जब तक वन अधिकारों की सत्यापन (जांच) और मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वन भूमि पर बसे या आश्रित किसी भी व्यक्ति को बेदखल नही किया जा सकता। [धारा 4(5)]

यह कानून ग्राम सभा को जंगल, वन्य जीव और जैव विविधता के बचाव और रख रखाव की जिम्मेदारी और अधिकार प्रदान करता है । [धारा (5)]

वन अधिकार कानून किन समुदायों के लिए है?

अनुसूचित जनजाति- सदस्य और समुदाय जो वन भूमि पर निवास करते हैं और जीविका या जीवनयापन की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर 13-12-2005 से पहले से निर्भर हैं । [धारा 2(ग)]

अन्य-परम्परागत वन निवासी- अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के वो सदस्य और समुदाय जो 13-12-2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढीयों तक प्राथमिक रूप से वन भूमि पर निवास करते आये हैं और जीविका या जीवनयापन की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर 13-12-2005 से पहले से निर्भर हैं । [कानून की धारा 2(ण)]

वन अधिकार कानून किन अधिकारों को मान्यता देता है?

यह कानून धारा 3 (1) व (2) में उल्लेखित परम्परागत वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और निहित करता है-

1) व्यक्तिगत अधिकार- 13 दिसंबर 2005 से पहले निवास और खेती के लिए इस्तेमाल की गई वन भूमि पर मल्कियत का अधिकार(पट्टा)। (फॉर्म-क भरना होगा)

2) सामुदायिक संसाधनों के उपयोग का अधिकार- धारा 3(1)के तहत सामुदायिक संसाधनों पर 13 प्रकार के उपयोग का अधिकार (घासनी, बांस, जड़ी-बूटी, लकड़ी, जल स्त्रोत, बजरी, देव स्थल, लघु वन उपयोग, शमशान आदि)। (फॉर्म-ख)

3) सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन का अधिकार- धारा 3(1)(झ) के तहत सामुदायिक संसाधनों एवं वनों के सरंक्षण और रख-रखाव का अधिकार। (फॉर्म-ग)

4) विकास का अधिकार- धारा 3(2) के तहत ग्राम सभा के पास 13 प्रकार की सामुदायिक ग्रामीण विकास कार्यों के लिए वन भूमि को हस्तांतरण करने का अधिकार है परन्तु यह वन भूमि ढाई एकड़ से अधिक न हो और इस कार्य के लिए 75 से अधिक पेड़ न काटने पड़ें ।

वन अधिकार कानून के तहत कैसा वन अधिकार पट्टा दिया जाएगा?

इस कानून के तहत मालिकाना हक मिलता है। यह एक हस्ताक्षरित दस्तावेज के रूप में सही धारकों में पति- पत्नी दोनों के नाम से संयुक्त रूप से पंजीकृत किया जाएगा, जमाबंदी में दर्ज होगा और धारा 4(4) के अनुसार प्राप्त पट्टे पर अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में जाएंगे परन्तु किसी और को बेचे या हस्तांतरित नहीं किये जा सकते ।

वन अधिकार समिति क्या है और इसकी क्या भूमिका है?

वन अधिकार समिति में 10-15 सदस्यों का चुनाव होगा जिसमे एक तिहाई जनजाति (अगर वहां जनजातियों का निवास हो) व एक तिहाई महिलाओं का होना आवश्यक है। यह कमेटी सामूहिक दावों की आवेदन फाइल तैयार करेगी और व्यक्तिगत दावों को आमंत्रित करते हुए पूरी तरह से जांच-पड़ताल के बाद आगे ग्राम सभा को पारित करेगी ।

वन अधिकार कानून की प्रक्रिया कौन देखेगा और इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है?

केंद्रीय स्तर पर वन अधिकार कानून को लेकर निर्देश जारी करने का अधिकार सिर्फ 'जनजातीय मामलों के मंत्रालय' के पास है क्यूंकि इसे कानून के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी माना गया है। राज्य स्तर पर यह कार्यवाही जनजातीय कल्याण विभाग देखेगा। वन विभाग या किसी भी अन्य विभाग द्वारा इस कानून को लेकर कोई भी मुख्य दिशानिर्देश नहीं दिए जा सकते। वन अधिकार कानून के तहत चार स्तर पर कमिटियों का गठन होगा- वन अधिकार समिति (FRC), उपखण्ड स्तरीय समिति (SDLC), जिला स्तरीय समिति (DLC), व राज्य स्तरीय निगरानी समिति (SLMC)।

वन अधिकार कानून की वन भूमि हस्तांतरण में क्या भूमिका है?

वन अधिकार कानून के तहत किसी भी प्रकार की वन भूमि के हस्तांतरण के लिए पहले वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरा होना व उसके बाद ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना आवश्यक है। इस कानून के तहत ग्राम सभा के पास किसी भी परियोजना निर्माण कार्यों जिसमें वन भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा हो, में अपनी NOC देने/ना देने का अधिकार है। वन अधिकार कानून की जानकारी और प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की ट्रेनिंग के अभाव में कोई भी NOC लेना गैरकानूनी है। केवल पंचायत सचिव, FRC प्रधानों/सचिव द्वारा NOC प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर ले लेना काफी नहीं हैं। वन अधिकार कानून ग्राम सभा को सबसे सर्वोच्च और सशक्त मानता है इसलिए किसी भी प्रस्ताव के पारित होने के लिए सबकी भागीदारी और ग्राम सभा का कोरम होना आवश्यक है।

हिमधरा पर्यावरण समूह
द्वारा प्रकाशित